संख्या-5/2020/949/96-आयुष-2-2020-24(बी)/2017

प्रेषक,

राज कमल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माणाधीन राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1072-बी/82/19-20/755, दिनॉक 06-03-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-45/2018/920/96-आयुष-2-2018-24(बी)/2017, दिनांक 30-03-2018 द्वारा निर्गत रू0 429;00 लाख के क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 के प्राविधानानुसार राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेज, प्रयागराज के भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 546.17 लाख के सापेक्ष रू0 117.17 लाख (रू0 एक करोड़ सत्रह लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उपरोक्त शासनादेश दिनांक 22-03-2019 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राज कमल यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2020/949(1)/96-आयुष-2-2020 तददिनॉक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्राचार्य, राजकीय राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।